आयकर अपीलीय अधिकरण,
इंदौर (एकल सदस्यीय प्रकरण) न्यायपीठ, इंदौर

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 91 /इंदौर/2024
निर्धारण वर्ष :2011-12

शादाब अहमद, 67/3, आजाद नगर, पुरानी जेल के पीछे, इंदौर-452001	बनाम	आयकर अधिकारी वार्ड 5(2), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं. एएक्सडीपीए 9788 आर PAN - AXDPA9788R		

अपीलार्थी की ओर से :	श्री पी.आनंद, एडवोकेट
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि :	01.08.2024
उद्घघोषणा तिथि :	01.08.2024

आदेश

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 26.09.2023 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई हैं । रजिस्ट्री द्वारा यह सूचित किया गया है कि यह 68 दिनों से कालबाधित है । इस संबंध में निर्धारिती द्वारा विलंब की माफी हेतु आवेदन दाखिल किया गया दाखिल किया गया है जिसमें यह कथन किया गया है कि अपील दाखिल करने में विलंब उनके सीए द्वारा दिए गए अपूर्ण तथा गलत मार्गदर्शन की वजह से हुआ है । जब निर्धारिती ने दूसरे अधिवक्ता से संपर्क किया तब उसे पता चला कि आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील निर्धारित समयावधि के अंदर

करना होती है तथा वह अवधि समाप्त हो गई है । निर्धारिती ने निवेदन किया कि उसके चार्टेड एकाउंटंट की निष्क्रियता एवं विलंब के लिए उसे सजा नहीं होनी चाहिए । निर्धारती को को विधि संबंध उपबंधो की सही जानकारी नहीं होने के कारण उनके द्वारा अपील दाखिल करने में विलंब हुआ । अतः उसने अपील दाखिल करने में हुए क्लिंब को माफ करने का अनुरोध किया है । निर्धारिती ने विलंब की माफी हेतु आवेदन के साथ शपथपत्र भी दाखिल किया है । मैंने पाया कि अपील दाखिल करने में विलंब तर्कसंगत कारण से हुआ था । अतः इस अपील दाखिल करने में विलंब को माफ किया जाता है ।

2. इस अपील की सुनवाई के दौरान, निर्धारिती के विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में निर्धारण अधिकारी ने ज्ञात स्त्रोतों से बैंक में जमा किए गए रु. 10,31,900/- के लेखे अधिनियम की धारा 68 के अधीन परिवर्धन करने में भूल की है । निर्धारिती एक बहुत छोटा व्यापारी (कबाडी) है जिसने पुराने टायरों के विक्रय से प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया है । यद्यपि, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना कथित परिवर्धन किया है । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान निर्धारण अधिकारी इसी तरह विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया है । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि निर्धारिती को सुनवाई का एक और अवसर प्रदान किया जाए तथा इस अपील को नये सिरे से न्यायनिर्णयण हेतु विद्वान निर्धारण अधिकारी की फाईल में प्रतिप्रेषित किया जाए ।

3. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशो पर निर्भरता रखी ।

4. मैंने दोनों ओर के विद्वान प्रतिनिधियों को सुना है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है । मैंने पाया कि इस प्रकरण में विद्वान निर्धारण अधिकारी इसी तरह विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया है । मैंने पाया कि निर्धारिती एक बहुत छोटा व्यापारी (कबाडी) है जो पुराने टायरों के

क्रय विक्रय से आय अर्जित करता है । निर्धारिती ने धारा 148 के अधीन नोटिस के उत्तर में उसकी आय की विवरणी कुल आय रु. 1,28,980/- घोषित करते हुए दाखिल की थी । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने दावा किया है कि निर्धारिती ने पुराने टायरों के विक्रय से प्राप्त नकद राशि रु. 10,31,900/- को बैंक खाते में जमा किया था जिसे निर्धारण अधिकारी के समक्ष स्पष्ट किया गया था । यद्यपि, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना उक्त राशि को अस्पष्टीकृत स्त्रोत से आय मानकर अधिनियम की धारा 68 के अधीन कथित परिवर्धन किया है । मेरे समक्ष निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि निर्धारिती को उन अतिरिक्त साक्ष्यों प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए जो वह निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया था । दोनों ओर के विद्वान प्रतिनिधियों के निवेदनों पर विचार करने पर, मेरा विचारपूर्ण अभिमत है कि निर्धारिती को उसका पक्ष प्रस्तुत करने हेतु एक और अवसर दिया जाना चाहिए । अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं न्यायपूर्ण व्यवहार को ध्यान में रखते हुए मैं इस मामले को निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उचित न्यायनिर्णयन हेतु विद्वान क्षेत्राधिकार (jurisdictional) निर्धारण अधिकारी की फाईल में वापिस भेजना उचित समझता हूँ । मैं, तद्नुसार आदेश करता हूँ । निर्धारिती को भी विद्वान निर्धारण अधिकारी द्वारा नियत सुनवाईयों में भाग लेना सुनिश्चित करने और अनावश्यक स्थगन नहीं मांगने का निदेश दिया जाता है ।

5. परिणामतः, निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती हैं ।

यह आदेश 01.08.2024 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-

(मनीष बोरड)

लेखा सदस्य

दिनांक : 01.08.2024

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल